दिनांक: 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त व 01 महिला अभियुक्ता को मय जाली मुद्रा व जाली मुद्रा बनाने के उपकरणो सहित किया गया गिरफ्तार

- **82,000/- के नकली नोट बरामद**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**
- **01 बोलेरो गाडी बरामद**
- **01 प्रिंटर बरामद**

अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में नवरात्रि पर्व पर थाना मिर्जापुर क्षेत्रांतर्गत मां शाकुम्भरी देवी मेले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस बल की डियूटी लगायी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर नरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा दिनांक 26-03-2023 को मुखबिर की सूचना पर शाकुम्भरी मेले में जाली मुद्रा चलाने के उद्देश्य से आये **02 शातिर अभियुक्त सोमपाल पुत्र पल्टूराम निवासी ग्राम न्यामतपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र रतिराम गुर्जर निवासी ग्राम जंधेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर एवं 01 महिला अभियुक्ता किरन पत्नी रवि उर्फ रविन्द्र** निवासी उपरोक्त को भूरादेव मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से ₹80,000/- **जाली मुद्रा व जाली मुद्रा बनाने के उपकरण व 01 बुलेरो गाडी जिसका रजि0न0 UK07(TMP) 1774 एवं 03 मोबाइल फोन बरामद** हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 43/2023 धारा 420/467/468/471/489ए/489बी/489सी/489डी/489ई भादवि व 63 कॉपी राइट एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभि0गण उपरोक्त पूर्व से जाली नोटो के कारोबार में संलिप्त है। अभि0गणो को मा0 न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है। ***अभियुक्त सोमपाल पुत्र पल्टूराम निवासी ग्राम न्यामतपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की हिस्ट्रीशीट खोली जा रही है। जिससे इसकी गतिविधियो पर निगरानी की जा सके।***

अपराध करने का तरीका- सोमपाल कक्षा-8 तक पढा है। सोमपाल वर्ष 2018 में अपने अन्य 04 साथियो के साथ थाना नयी मंडी जनपद मुजफ्फरनगर से जाली नोट छापने के केस में जेल गया था। इसके 02 साथी थाना देवबन्द क्षेत्र के व अन्य 02 साथी मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। जेल से जमानत पर छुटने के बाद सोमपाल ने थाना देवबन्द क्षेत्र में जाली नोट छापने का काम शुरू किया और इसी में यह थाना देवबन्द से वर्ष 2018 में अपने अन्य 01 साथी के साथ जेल गया था। इसके विरूद्ध थाना देवबन्द से ही गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही हुई। उसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद यह जनपद सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित मोहल्ला मनोहरपुर थाना सदर बाजार क्षेत्र में रवि उर्फ रविन्द्र के किराये के मकान में रहने लगा था। फिर इसने अपनी नकली नोट छापने की योजना अपने मकान मालिक रवि व उसकी पत्नी किरन को बतायी तो वो दोनो भी इसके साथ काम करने लगे। सोमपाल

स्वंय बाजार से बोंड पेपर खरीदकर प्रिंटर से जाली नोट बनाता था। और ये तीनो इन नकली नोटो को सब्जी मंडी, बाजारो, भीड-भाड़ वाले स्थानो में शाम के समय हल्का अंधेरा होने पर चलाते थे। सोमपाल ने बताया कि मै जल्दी अमीर होने के चक्कर में इन नकली नोटो के धंधे में लिप्त हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता –

1. सोमपाल पुत्र पल्टूराम निवासी ग्राम न्यामतपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र रतिराम गुर्जर निवासी ग्राम जंधेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर हाल पता मनोहरपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. किरन पत्नी रवि उर्फ रविन्द्र निवासी ग्राम जंधेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर हाल पता मनोहरपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

1. अभि0 सोमपाल उपरोक्त के कब्जे से ₹32,000/- के नकली नोट, 01 विजिटिंग कार्ड, 01 पेपर प्रिन्टर खरीदने की रशीद, एक हरे रंग का पेपर काटने का चाकू व 01 मोबाइल फोन
2. अभि0 रवि उर्फ रविन्द्र उपरोक्त के कब्जे से ₹25,000/- के नकली नोट, 01 पैन कार्ड व 01 मोबाइल फोन
3. अभियुक्ता किरन उपरोक्त के कब्जे से ₹25,000/- के नकली नोट, 01 आधार कार्ड व 01 मोबाइल फोन
4. 01 HP कम्पनी का प्रिन्टर (जो क्षतिग्रस्त है)
5. 01 बुलेरो गाडी रजि0न0 UK07(TMP)1774

अभि0 सोमपाल का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 720/18 धारा 420/467/468/471/489ए/489बी/ 489सी/489डी/489ई भादवि व 63 कॉपीराइट एक्ट थाना नई मण्डी मु0नगर
2. मु0अ0स0 1481/18 धारा 489ए/489 सी भादवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 77/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 43/2023 धारा 420/467/468 /471/ 489ए/ 489बी/ 489सी/ 489डी/ 489ई भादवि 63 कॉपीराइट एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर

अभि0 रवि उर्फ रविन्द्र का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 43/2023 धारा 420/467/468 /471/ 489ए/ 489बी/ 489सी/ 489डी/ 489ई भादवि 63 कॉपीराइट एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर

महिला अभियुक्ता किरन-

1. मु0अ0स0 43/2023 धारा 420/467/468 /471/ 489ए/ 489बी/ 489सी/ 489डी/ 489ई भादवि 63 कॉपीराइट एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर

दि0 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछितो/वारण्टीयों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सर्किल बेहट जिला सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर श्री नरेश कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर 01 वारन्टी अभियुक्त विनोद पुत्र पालूराम निवासी ग्राम रोशनपुर पैलो थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 2048/2019 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही कर वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विनोद पुत्र पालूराम निवासी ग्राम रोशनपुर पैलो थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1-उ0नि0 श्री असगर अली थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

2-है0का0 424 संजय धामा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

3-का0 2062 अफसर अली थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।

दि0 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 5 किलो डोडा पोस्त चूर्ण व फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 चोरी गई मोटरसाईकिल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में अवैध नशीले पदार्थों व नशा तस्करो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त साबिर पुत्र लियाकत निवासी ग्राम चन्दपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर को 01 मोटरसाईकिल सीटी 100 चैसिस नम्बर DUFBLG43341 इंजन नम्बर DUMBLF9787 फर्जी नम्बर प्लेट लगी व 5 किलो डोडा पोस्त चूर्ण के गिरफ्तार किया गया। बरामद फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी गई मोटर साईकिल व नाजायज डोडा पोस्त चूर्ण के सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 110/23 धारा 414/465 भादवि व 8/15 NDPS ACT बनाम साबिर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पताः-

साबिर पुत्र लियाकत निवासी ग्राम चन्दपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

1. 5 किलो नाजायज डोडा पोस्त चूर्ण
2. एक मोटरसाईकिल सीटी 100 चैसिस नम्बर DUFBLG43341 इंजन नम्बर DUMBLF9787 (फर्जी नम्बर प्लेट लगी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना नकुड, सहारनपुर
2. उ0नि0 रविन्द्र कुमार थाना नकुड, सहारनपुर
3. है0का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना नकुड, सहारनपुर
4. का0 2351 शमसाद अली थाना नकुड, सहारनपुर

दि0 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सर्किल नकुड जनपद सहारनपुर के निकट प्रर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश चन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में अपराध की रोकथाम हेतु गठित टीम उप0निरी0 महेशचन्द मय का0 688 प्रवीण द्वारा वारण्टी रवि पुत्र कान सिंह नि0 ग्राम सढौली दुलीचन्दपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 64/21 मु0अ0सं0 91/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0 चालानी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय भिजवाया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी के नाम व पता-

रवि पुत्र कान सिंह नि0 ग्राम सढौली दुलीचन्दपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. अति0 प्र0नि0 श्री योगेश चन्द्र गौतम थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
3. का0 688 प्रवीण थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 31/14 धारा 414/ 420/467/ 468/471 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 321/14 धारा 323/325/354(ख)/452/506 थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 6/15 धारा 323/324/452/506 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 91/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा किया गया 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अवैध नशीली वस्तु विक्रय करने वाले व नशे के कारोबार मे लिप्त अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बेहट बृजेश कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 26.03.2023 को अभियुक्त प्रवेज उर्फ कालू पुत्र तासीन नि0ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0स0-149/2023 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त प्रवेज के परिवार के अन्य सदस्य भी नशा तस्कर के कारोबार में लिप्त है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

प्रवेज उर्फ कालू पुत्र तासीन नि0 ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

120 ग्राम चरस।

दिनांक: 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल, सहारनपुर पुलिस द्वारा किए गये धोखाधडी से चोरी करने वाले अन्तर्राजीय चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल व 1200/- नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अपराधो की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना नागल के कुशल नेतृत्व मे थाना नागल पुलिस द्वारा दिनांक 26.03.2023 थाना नागल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 75/23 धारा 379/420/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.असलम पुत्र शेर मोहम्मद निवासी बेडपुर थाना पिरान कलियर जिला हरिद्वार हाल पता नई कालौनी सिकरोडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार 2.साहिल खान पुत्र सलीम निवासी साबरी बाग थाना पिरान कलियर जिला हरिद्वार को बस स्टैण्ड थाना नांगल से गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्तगणो के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी किया गया एक सैमसंग मोबाइल व 1200/- रूपये बरामद हुए । अभियुक्तगण जनपद की सीमा से लगे हुए स्थानों पर निवास करते है और दिन/रात में आकर जनपद में घटना कारित करके अपने घर वापस चले जाते है। अभियुक्तगणो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पताः–

1. असलम पुत्र शेर मोहम्मद निवासी बेडपुर थाना पिरान कलियर जिला हरिद्वार हाल पता नई कालौनी सिकरोडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार।
2. साहिल खान पुत्र सलीम निवासी साबरी बाग थाना पिरान कलियर जिला हरिद्वार।

बरामदगीः-

01 सैमसंग मोबाइल व 1200 रूपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना नांगल सहारनपुर।
2. उ0नि0 लोकेन्द्र शर्मा थाना नांगल सहारनपुर।
3. है0का0 521 सुनील राणा 4.है0का0 586 राजीव पवाँर।

दिनांकः 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के 51 मुकदमो में बरामद की गई कुल 634 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में माल मुकदमाती निस्तारण अभियान में मा0 न्यायालय से पारित आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा श्री राधे श्याम शर्मा तहसीलदार नकुड़, श्री उतेश कुमार जौहरी अभियोजन अधिकारी एवं श्री पंकज सिंह चौहान आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति में तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ के कुशल नेतृत्व थाना नकुड़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.03.23 को वर्ष 2021 व 2022 में आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 51 अभियोगों में बरामद 15 लीटर अंग्रेजी शराब, 229 लीटर देशी शराब एवं 390 लीटर कच्ची शराब (कुल 634 लीटर अवैध शराब) को थाना परिसर में खाली स्थान पर जेसीबी से गड्डा खुदवाकर विनष्टीकरण कराकर कुल 51 माल मुकदमाती का निस्तारण किया गया।

नष्ट की गयी अवैध शराब का विवरणः-

1. 15 लीटर अंग्रेजी, 229 लीटर देशी एवं 390 लीटर कच्ची शराब (कुल 634 लीटर अवैध शराब) ।

अवैध शराब निस्तारण हेतु गठित टीम के सदस्यों के नामः-

3. श्री नीरज सिंह क्षेत्राधिकारी नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
4. श्री राधे श्याम शर्मा तहसीलदार नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
5. श्री उतेश कुमार जौहरी अभियोजन अधिकारी जनपद सहारनपुर ।
6. श्री पंकज सिंह चौहान आबकारी निरीक्षक क्षेत्र नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
7. श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
8. है0मौ0 42 मनोज कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
9. है0मौ0 222 विनय तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियुक्तगण की धर पकड के अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी क्षेत्र से चोरी हुई मोटर साईकिल की बरामदगी व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम द्वारा घटनास्थल के आस पास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अभियुक्त को चिन्हित किया गया तथा अभियुक्त की फोटो के माध्यम से अभियुक्त की शिनाख्त कर अभियुक्त को चोरी की मोटर साईकिल (मोटरसाईकिल न0- UP11AZ5356 रंग सिल्वर स्प्लेंडर प्लस तथा चैसिस न0 MBLHAR087HHD21074 व ईन्जन न0 HA10ADHHDB6833) के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त मोटर साईकिल चोरी के समबन्ध में थाना मण्डी पर पूर्व से ही मु0अ0सं0- 80/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शबनूर पुत्र जमील निवासी ग्राम खजूरहेडी थाना नकुड सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

01 स्प्लेंडर प्लस मोटर साईकिल।

दिनांकः 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियुक्तगण की धर पकड के अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तगण 1-अमित पुत्र पप्पू निवासी मौहल्ला मातागढ़ थाना मंडी सहारनपुर 2- आशु पुत्र चमन निवासी मौहल्ला मातागढ़ थाना मंडी सहारनपुर संबंधित वाद संख्या 3342/2021 व मु0अ0स0 450/2012 धारा 323,324,325,504,506 आईपीसी चालानी थाना मंडी सहारनपुर माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 -2 सहारनपुर नियत थिति 05.06.2023, 3- मकसूद पुत्र बुन्दुहसन निवासी सराय मरदान अली थाना मंडी सहारनपुर, 4- मसरूर पुत्र मकसूद निवासी सराय मरदान अली थाना मंडी सहारनपुर संबंधित वाद संख्या 2858/2021 व मु0अ0स0 369/2014 धारा 420,406,323,324,504,506 आईपीसी चालानी थाना मंडी सहारनपुर माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 -2 सहारनपुर नियत थिति 03.04.2023 को उनके मसकनो पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अमित पुत्र पप्पू निवासी मौहल्ला मातागढ़ थाना मंडी सहारनपुर।
2. आशु पुत्र चमन निवासी मौहल्ला मातागढ़ थाना मंडी सहारनपुर।
3. मकसूद पुत्र बुन्दुहसन निवासी सराय मरदान अली थाना मंडी सहारनपुर।
4. मसरूर पुत्र मकसूद निवासी सराय मरदान अली थाना मंडी सहारनपुर।

दि0 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा वांछित / वारन्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतू चलाये गये अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह द्वारा मय हमराही के दिनांक – 27.03.2023 को 01 वारन्टी अभियुक्त साहिब उर्फ बाबर पुत्र नसीम निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या – 1964/19, धारा – 294 IPC थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को अभियुक्त के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त

साहिब उर्फ बाबर पुत्र नसीम निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2.है0कां0 951 सुधीर उज्जवल, थाना सरसावा सहारनपुर।
3.पीसी इखलाख।

दि0 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अभियुक्तगण की धर पकड के अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सर्किल नकुड जनपद सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश चन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में अपराध की रोकथाम हेतु गठित टीम उप0निरी0 श्री रणपाल सिंह मय का0 366 लोकेन्द्र द्वारा वारण्टी कल्लू उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र रमेश नि0 ग्राम मदनूकी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 1364/19 धारा 435/504/506 भादवि चालानी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त/ वारण्टी के नाम व पता

कल्लू उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र रमेश नि0 ग्राम मदनूकी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

पुलिस पार्टी –

4. अति0 प्र0नि0 श्री योगेश चन्द्र गौतम थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री रणपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
6. का0 366 लोकेन्द्र थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
7.

आपराधिक इतिहास

5. मु0अ0सं0 299/14 धारा 435/504/506 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

दिनांकः 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुरउत्तर , प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोटरसाईकिल चोरी के 03 तीन शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाईकिल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा **थाना देवबन्द पर पंजीकृत-** मु0अ0सं 152/23 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 171/23 धारा 379 भादवि, **थाना बडगाँव पर पंजीकृत-** मु0अ0सं0 68/23 धारा 379 भादवि की मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए तीन अभियुक्तगण **(1) गगन पुत्र हंस कुमार निवासी ग्राम लखनौती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर, (2) शाहनजर पुत्र खुर्शीद निवासी मौहल्ला नागान अम्बहेटा पीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर, (3) अबुजर पुत्र मरगूब निवासी मौ0 गाडान अम्बहेटापीर थाना नकुड जिला सहारनपुर** को चोरी की 4 मोटरसाईकिल सहित नूरपूर फाटक के पास से गिरफ्तार किये गये। अभियुक्तगण गगन व अबुजर ने पूछताछ मे बताया कि वह मोटरसाईकिल चोरी कर उसके पार्टस निकालकर अभियुक्त शाहनजर को बेचा करते थे। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 411/420/465 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगणो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर अमल मे लायी जा रही है।

अभियुक्तगण के नाम व पते –

(1) गगन पुत्र हंस कुमार निवासी ग्राम लखनौती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

(2) शाहनजर पुत्र खुर्शीद निवासी मौहल्ला नागान अम्बहेटा पीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

(3) अबुजर पुत्र मरगूब निवासी मौ0 गाडान अम्बहेटापीर थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

(1) मोटर साईकिल हीरो स्पलैन्डर प्लस रंग सिल्वर नम्बर UP11BJ0103 चैसिस नम्बर MBLHAR079HHM11699 इंजन नम्बर HA10AGHHM13835 सम्बन्धित मु0अ0सं0 171/23 धारा 379 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

(2) मोटर साईकिल हीरे स्पलेन्डर प्लस सिल्वर रंग फर्जी रजि0 नम्बर UP11L0915 लगी प्लेट चैसिस नम्बर MBLHA10AMEHF16889 व इंजन नम्बर HA10EJEHF08305 असली रजि0 नम्बर UP11AR02003 सम्बन्धित मु0अ0सं0 152/23 धारा 379 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

(3) मोटर साईकिल हीरो स्पलेन्डर प्रो0 रंग काला रजि0 नम्बर UP11AL9296 चैसिस नम्बर MBLHA10ASDHC57828 इंजन नम्बर 07H22E02028 जिसका इंजन बदला हुआ सम्बन्धित मु0अ0सं0 68/23 धारा 379 भादवि थाना बडगाँव जिला सहारनपुर

(4) मोटर साईकिल हीरो एचएफ डीलक्स रजि नम्बर DL3SBA4866 जिसका चैसिस नम्बर 07H02F12384 व इंजन नम्बर HA11EMH9A02622 जिसका इंजन बदला हुआ।

दिनांकः 27-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वाले एक शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे अवैध शराब के कारोबार मे लिप्त अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, थाना प्रभारी कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतबुशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.03.23 को अभियुक्त अंकुर पाठक पुत्र सुनील पाठक निवासी हरी मंदिर के पास आवास विकास कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को चैकिंग के दौरान नाला पटरी खुर्जा मिल के पास से समय करीब 11.30 बजे अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । पूछताछ मे अभियुक्त ने बताया कि वह स्वयं नशे का आदी है व अपने नशे की जरूरते पूरी करने के लिए अवैध शराब की तस्करी करता था। अभियुक्त अंकुर पाठक उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 79/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अंकुर पाठक पुत्र सुनील पाठक निवासी हरी मंदिर के पास आवास विकास कालोनी मकान नं0 284 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का